संख्या-9/2015/373/49-3-2015-100(35)/2007

प्रेषक,

शैलेष कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
आवास,सिचाई,चिकित्सा, शिक्षा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन,
ऊर्जा,परिवहन, कृषि, खाद्य एवं रसद, बाल विकास एवं पुष्टाहार,
शिक्षा (बेसिक, माध्यमिक,उच्चतर माध्यमिक एवं प्राविधिक),
उत्तर प्रदेश शासन।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20मार्च, 2015

विषय: पंजीकृत सहकारी श्रम संविदा समितियों के माध्यम से कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा पर कार्य दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वर्तमान में न्याय पंचायत स्तर पर कुल 201 श्रम संविदा सहकारी समितियाँ "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम-1965 एवं सपठित नियमावली-1968 के अधीन निबन्धित है।"

2- इन श्रम संविदा सहकारी समितियों में समाज के अधिकांशत: निर्बल,पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के कुशल,अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक समिति के सदस्य होते है, जो अपने मुख्य उददेश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं या निजी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से किसी प्रकार के निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य के लिये अथवा सामान, भण्डार वस्तुओं, उपकरण, संयंत्र या श्रमिक आदि की पूर्ति करने के लिये ठेका लेकर तथा इन ठेकों को सदस्यों के माध्यम से या उनकी सहायता से कार्यान्वित करके सदस्यों के लिये उपयुक्त तथा लाभप्रद रोजगार का प्रबन्ध करते है।

3- इसके अतिरिक्त प्रश्नगत श्रम संविदा सहकारी समितियों द्वारा छोटा-मोटा(जाब वर्क) एवं समिति के लिये उपकरण, संयंत्र, मशीन, औजार गाड़ियाँ या अन्य भण्डार वस्तुएं खरीदना, किराये या पद्टे पर लेना, सदस्यों को उनके धन्धे में प्रशिक्षित करके उनकी कार्यकुशलता तथा दक्षता बढ़ाना आदि का कार्य किया जाता है।

4- किन्तु इन समितियों में उपलब्ध संसाधनों के अभाव व पर्याप्त श्रमिक कार्य उपलब्ध न होने के कारण रोजगार सृजन के साथ-साथ समिति के उददेश्य की पूर्ति के अभाव में इन श्रमिकों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नही हो पा रहा है।

------2/---

http://srisanadesh.up.nic.in

5- ऐसी स्थिति में अपने स्तर से विभाग के सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि " जिन कार्यो हेतु कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर श्रम संविदा सहकारी समितियों को अधिक से अधिक कार्यो का आबंटन किया जाय, जिससे सामाजिक उत्थान के साथ-साथ सहकारी समितियों के उददेश्य की पूर्ति हो सके "।

भवदीय,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 9/2015/373(1)/49-3-2015, तद् दिनांक

प्रतिलिपि : --

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्रांक 118/श्रम-88, दिनांक 13-2-2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in